संस्थापित 1886 ई०
पंजीकरण तिथि 5 जनवरी, 1897

ओ३म्
"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्"

✆ : 0522-2286328

आर्य समाज 150 साल

आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश

श्री नारायण स्वामी भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ-226001
ई-मेल-apsbhaup86@gmail.com

पत्रांक : .... दिनांक : ....

आर्य समाजों में विवाह हेतु निर्धारित दिशा निर्देश व नियम

1. **वर-कन्या दोनों के पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र** जिस पर एक दूसरे की स्वीकृति/सहमति हस्ताक्षर होंगे।

2. दोनों प्रार्थना पत्रों पर दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों, **आर्य समाज के सभासद द्वारा संस्तुति।**

3. दोनों पक्षकारों की आयु (जन्म तिथि प्रमाण पत्र) **विवाह के समय कन्या आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष न्यूनतम होगी।**
   आयु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निम्न में किसी एक अभिलेख का होना आवश्यक व अनिवार्य है :-
   (i) हाईस्कूल/एस०एस०एल०सी० प्रमाण पत्र (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत)
   (ii) पासपोर्ट
   (iii) पैन कार्ड
   (iv) रजिस्ट्रार जन्म, मृत्यु पंजीकरण निर्गत प्रमाण पत्र
   (v) स्थायी ड्राइविंग लाइसेन्स
   (vi) सी०एम०ओ० द्वारा जारी जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र

4. पक्षकारों (दोनों वर-वधू) की पहचान के सम्बन्ध में आधार के अतिरिक्त **निम्न में से किसी एक अतिरिक्त पहचान पत्र की आवश्यकता है :-**
   (i) स्थायी ड्राइविंग लाईसेन्स
   (ii) पैन कार्ड
   (iii) मतदाता पहचान पत्र
   (iv) पासपोर्ट
   (v) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अभिलेख

5. पक्षकारों के पते (वर-वधू) के सम्बन्ध में निम्न में से किसी एक अभिलेख का होना आवश्यक है :-
   (i) आधार कार्ड
   (ii) मतदाता पहचान पत्र
   (iii) स्थायी ड्राइविंग लाईसेन्स
   (iv) पासपोर्ट
   (v) राशन कार्ड
   (vi) यूटिलिटी बिल (जल, विद्युत, टेलीफोन अथवा गैस बिल)
   (vii) रेन्ट एग्रीमेन्ट
   (viii) बैंक पासबुक
   (ix) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अभिलेख

6. विवाह सम्पन्न कराने वाले **पुरोहित का पहचान पत्र (आधार कार्ड) एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर।**

आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश

श्री नारायण स्वामी भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ-226001
ई-मेल-apsbhaup86@gmail.com

पत्रांक : .... **दिनांक :** ....

7. **शपथ पत्र (बयान-ए-हल्फी)** जिसमें नाम, वल्दियत, पता, आयु, शिक्षा, वर्तमान आवासीय विवरण, (विवाहहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा आदि) मानसिक स्थिति स्वस्थ, परस्पर रिश्ता (यदि कोई है) लिपिद्ध, नातेदारी, संगोत्र न होने की आत्म स्वीकृति, लालच/दहेज दबाव, धमकी आदि न होकर स्वेच्छा से विवाह की स्वीकृति तथा बेमेल विवाह न होने का प्रमाण हो।
8. किसी अन्य धर्म की स्थिति (विधर्मी) में **शुद्धि प्रमाण-पत्र एवं नए नाम की घोषणा।**
9. वर एवं वधू के **तीन-तीन फोटोग्राफ** / एक-एक प्रार्थना पत्र पर तथा दो रिकार्ड के लिये।
10. विवाह के दौरान की **फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी** कराया जाना आवश्यक है।
11. **4 गवाहों (दोनों पक्षों से 02-02 गवाह)** के हस्ताक्षर एवं उनका विवरण फोटो, आधार कार्ड आवश्यक है।
12. **नोटिस बोर्ड पर सूचना** (सम्बन्धित आर्य समाज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये)।
13. **माता-पिता को 6 दिन का समय** देकर सूचना तथा सहमति के लिये पत्र आर्य समाज द्वारा निर्गत किया जाये।
14. माता-पिता की असहमति होने पर उसके कारणों पर **वैदिक सिद्धान्तानुकूल निर्णय** आर्य समाज के प्रधान/मंत्री अथवा विशेष नियुक्ति विद्वान द्वारा लिखा जाये।
15. असहमति जन्मगत जातिवाद के कारण या अमीरी गरीबी के कारण हो, परन्तु वर-वधू की योग्यता लगभग समान हो तो उसकी परवाह किए बिना विवाह कराया जा सकता है।
16. **बेमेल विवाह** जैसे आयु का अन्तर बहुत अधिक होना या किसी प्रकार का चरित्र दोष आदि के कारण होने पर ऐसे विवाहों को नहीं कराया जाये।
17. आर्य समाज के पत्राचार-एजेण्डा कार्यवाही पंजिका तथा प्रमाण पत्र जिस पर प्रधान मंत्री तथा पुरोहित के हस्ताक्षर तथा वर-वधू के हस्ताक्षर विधिवत् रजिस्टर के रूप में सुरक्षित रखे जायेंगे।
18. विवाह के प्रमाण पत्र का प्रारूप **आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।**
19. विवाह प्रमाण पत्र/पंजीकरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही **ऑनलाइन/डिजिटाइजेशन पोर्टल** की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
20. उपरोक्त के अनुसार विवाह सम्बन्धी समस्त अभिलेख फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी **आर्य प्रतिनिधि सभा आधिकारिक ई-मेल पर स्थानीय आर्य समाज द्वारा विवाह उपरान्त 24 घण्टे के भीतर भेजा जाये।**
21. उपरोक्त विवाह सम्बन्धी नियमों का **सशक्त पालन स्थानीय आर्य समाजों द्वारा किया जाये** अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश, नीति व नियम सभा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित हैं।

(आचार्य स्वदेश)
प्रधान

(योगेश कुमार यादव)
मंत्री